न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 236/2011

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 सूवटी पुत्री सुण्डाराम पत्नी रामेश्वर कहार।
2 मालुराम पुत्र रामेश्वर।
3 मुन्नालाल पुत्र रामेश्वर समस्त जाति जाट निवासीगण तलाब की ढ़ाणी तन रैवासा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 सुशीला कुमारी पुत्री राजाराम सिंह जाति राजपूत निवासी खण्डेला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 श्रवण कुमार पुत्र रतनाराम कालेर जाति जाट निवासी बागपत कॉलोनी कृषि उपज मण्डी के सामने वार्ड नम्बर 17 सीकर तहसील व जिला सीकर।
4 शेरसिंह सुण्डा पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी आनन्द नगर सीकर तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2011
बउनवानी दावा सूवटी आदि बनाम सुशीला कुमारी
मुकदमा नम्बर 53/08 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़ जिला सीकर

उपस्थित

1. श्री महेन्द्र कुमार माथुर अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभाती लाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री भंवरलाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 28-12-18

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा वाद संख्या 53/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट के विरूद्व विचारण न्यायालय में दावा बाबत उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा दुरूस्ती इन्द्राज बाबत भूमि खसरा नम्बर 745, 746,748 ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ़ प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर वादी की साक्ष्य प्राप्त

Law

कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई । विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पर खण्डेला ठिकाना के समय से अपीलांट के पूर्वज काश्त करते थे जिसकी लगान की रसीदे विचारण न्यायालय में प्रदर्शित करवाई गई है। खसरा गिरदावरी में भी कब्जा साबित है अपीलांट को आज तक बेदखल नही किया गया है। इसी भूमि पर अपीलांटस आवास बनाकर आबाद है प्रतिवादी ठिकाने की उतराधिकारी थी उसने किसी अन्य को उसका विकय कर दिया है। धारा 19 में अपीलांटस को खातेदारी मिलनी चाहिए थी तहसीलदार की रिपोर्ट से अपीलांट का कब्जा साबित है विचारण न्यायालय ने इन पर गौर नही कर दावा खारिज किया है जो विधि विरूद्व है अपील स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट के नाम गत 55–56 वर्ष से चली आ रही है कब्जे के आधार पर खातेदारी नही दी जा सकती है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 175 आर.एल. डब्ल्यू 2017 (1) पेज 530 आर.आर.टी. 2014–15 (supp.) पेज 664 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादी अपीलांट ने विवादित भूमि पर पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी की घोषणा चाही है इस सन्दर्भ में हमने विचारण न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

Lavo

रसीदो में कोई खसरा नम्बर अंकित नही है। ऐसी स्थिति में यह साबित नही है कि यह लगान की रसीदे विवादित भूमि के सन्दर्भ में है। प्रस्तुत खसरा गिरदावरी में केवल कुछ वर्षो में वादी की 5 बिस्वा पर काश्त अंकित है किन्तु यह भी निरन्तर नही है विवादित भूमि की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के उपरान्त रेस्पोडेंट के नाम चली आ रही है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 175 में अभिनिर्धारित किया गया है कि " Rajasthan Tenancy Act,1955-Secs.88,15,19&5(43) & 5(23)–Suit for declaration of khatedari rights on the basis of possession – Suit for declaration cannot be decreedon the basis of adverse possession & the Trial xourt dismissed the duit – petitioner failed to prove that the land was khudkasht- concurrent findings- Held, courts below have not committed any error. इसी प्रकार आर.एल.डब्ल्यू 2017(1) पेज 530 पर अभिनिर्धारित किया गया है कि " Rajasthan Tenancy Act, 1955, Sec. 88 & 188- Suit for decleration and permanent injunction – Suit dismissed- Appeal also dismissed after considering all points- Concurrent finding of lower Courts- No documentary proof of possession – Relationship of Shikami sub-tenant not proved – Held – Where there is concurrent finding of lower courts and not having any irregularity in second appeal, Court should not interfere. Appeal dismissed. इसी प्रकार आर.आर.टी. 2014–15 (Supp) पेज 664 में अभिनिर्धारित किया गया है कि " Rajasthan Tenancy Act, 1955. Secs. 88,89,90,92- A& 188- Declaration & permanent injunction- concurrent finding on issue No. 1 in favour of the plaintiff- Land

cannot be transferred by unregistered document – Documents Ex. 1A&5A are unregistered – Erroneous findings of Courts below-plaintiffs are not the recorded tenant& not entitled to permanent injunction – Khatedari rights can not be granted on the basis of adverse possession – Held, Appeal is devoid of merits& dismissed.

विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी राजस्व रिकार्ड में वादी अथवा उसके पूर्वज कभी भी सिकमी काश्तकार/खुद कास्त दर्ज नही है। उपरोक्त विवेचन, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में विचारण न्यायालय ने वादी अपीलांट का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28-12-18 को सरे इजलास सुनाया गया।

28.12.18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर